

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2020—श्रावण 2, शक 1942

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 26 मई 2020

क्र. 5327-SC-1-2020.—श्री कमल सिंह लोधी, पार्षद, वार्ड क्र. 01, नगरपालिका, विदिशा का त्याग-पत्र मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 40(1) के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है. प्राप्त त्याग-पत्र की वास्तविकता के संबंध में धारा 40 की उपधारा (2) (एक) के अंतर्गत समाधान होने से श्री कमल सिंह लोधी, पार्षद, वार्ड क्र. 01 का त्याग-पत्र स्वीकृत करते हुए आकस्मिक रिक्ति अधिसूचित करता हूं.

पंकज जैन, कलेक्टर.